

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-3946 / 2022

संजीव कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, दीगोद, जिला कोटा ।
4. हेमराज चोरसिया, वरिष्ठ अध्यापक गणित, वर्तमान पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दांता, कोटा

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.10.2022

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दीगोद, कोटा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दांता सांगोद, कोटा में किया गया है। उनका तर्क है कि आलोच्य आदेश द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, क्योंकि निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण दुर्भावनापूर्वक व नियम विरुद्ध किया गया है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक-1) की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
4. स्थानान्तरण सेवा का एक भाग है। ऐसा कोई आधार अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से निजी प्रत्यर्थी को स्थानान्तरित किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2013 से पदस्थापित है, ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण लगभग 9 वर्ष के समुचित अवधि के पश्चात् किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की नियम एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।
5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
6. आदेश आज दिनांक 11.10.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)